संख्या : 679/60-3-2001-3(42)/97

प्रेषक,

(2)

भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0
3. समस्त विभागाध्यक्ष उ0प्र0।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3, लखनऊ, दिनांक 20 मार्च, 2001

विषय : कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न प्रतिषेध आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक रिट पिटीशन (क्रिमि0)-666-70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 13 अगस्त, 97 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में संविधान की धारा 32 एवं 141 के अन्तर्गत उपरोक्त विषय पर कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं मापदण्ड प्रतिपादित किये थे और संविधान की धारा 141 के अधीन उसे देश का कानून घोषित किया था। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रभावी कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है :-

1. उपरोक्तानुसार बने "लॉ ऑफ द लैन्ड" के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 13/5/98 टी0सी0-का-1-1998 दिनांक 17 अक्टूबर, 1998 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण (संशोधन) नियमावली 1998 प्रसारित की थी। उपरोक्त के क्रम में ही, प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों में भी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1998 के उपरोक्त प्राविधानों का समावेश करते हुए सम्बंधित कर्मचारी नियमावलियों में संशोधन करने के सम्बन्ध में सचिव, सार्वजनिक उद्यम के हस्ताक्षर से शासनादेश संख्या - 1660/44-2-1998 दिनांक 12 नवम्बर, 1998 जारी किया गया था। आशा है कि तदैव सभी उपक्रमों, निगमों में व्यवस्था कर ली गयी होगी।

2. कृत कार्यवाही का विवरण एक माह के अन्तर्गत सचिव, कार्मिक तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो संकलित कर मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि सभी स्तरों पर उपरोक्त समय सीमा के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण संकलित करने में सचिव, कार्मिक एवं प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को यथा योग्य समयबद्ध सहयोग उपलब्ध करा दिया जायेगा।

क्रमशः 2

3. कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध केवल सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों, सरकारी निगमों, उपक्रमों तक ही सीमित नहीं रहना है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त तथा मापदण्ड देश के कानून की श्रेणी में है, अतः उन्हें निजी संस्थाओं में भी उतनी ही कड़ाई से लागू किया जाना आवश्यक है।

4. निजी क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न उपक्रम/संस्थाएं "सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860", "इण्डियन पार्टनरशिप ऐक्ट 1932" तथा सहकारी समितियां "सहकारी समिति अधिनियम 1965" के अन्तर्गत पंजीकृत है। अपेक्षा की जाती है कि प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव सहकारिता तथा प्रमुख सचिव श्रम निजी क्षेत्र की उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं के बायलाज में भी कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध सम्बन्धी उपरोक्त व्यवस्था की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तीन माह के अन्तर्गत सम्बन्धित शासनादेशों, नियमों, रेगुलेशन ऐक्ट में यथावश्यक परिवर्तन सुनिश्चत करेंगे ताकि निजी क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाएं भी कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न सम्बन्धी उपरोक्त "लॉ आफ द लैण्ड" के कार्यान्वयन हेतु व्यवस्थागत रूप से सशक्त हो सकें।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिये है कि प्रत्येक कार्यालय/संस्थान (निजी/सरकारी/अर्द्ध सरकारी) में शिकायत समिति (कम्प्लेन्ट कमेटी) का गठन किया जायेगा, जिसमें :-

   1. महिला सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के आधी से कम नहीं होगी।
   2. इस समिति का अध्यक्ष एक महिला सदस्य को बनाया जायेगा।
   3. एक गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित हो, को भी इस समिति का सदस्य बनाया जायेगा।

   उपरोक्त समिति को अपने कार्य सुचारू रूप से करने हेतु आवश्यक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट सम्बन्धित संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी।

6. यह समिति अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट बनायेगी और उस संस्थान के यौन उत्पीड़न के मामलों और उनके प्रकाश में आने पर कृत कार्यवाही का विवरण तथा अपने सुझाव संस्था के मुख्य कार्यकारी को प्रस्तुत करेगी।

7. संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट विवरण, जिसमें उनके द्वारा कृत कार्यवाही तथा शिकायत समिति की रिपोर्ट संलग्न हो, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायेगी।

8. निजी क्षेत्र की संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कम्पलेन्ट कमेटी की रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही का विवरण अपनी सामान्य सभा की मीटिंग में प्रस्तुत करेंगे।

9. प्रदेश सरकार के सचिवालय में इस समिति का गठन महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत किया जायेगा और वार्षिक रिपोर्ट मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

10. कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही समयबद्ध तरीके से कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भोलानाथ तिवारी)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो।
2. सचिव, कार्मिक को इस आशय से कि वे उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर एक माह के अन्तर्गत संकलित विवरण मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें और प्रतिलिपि महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
3. प्रमुख सचिव, वित्त।
4. प्रमुख सचिव, सहकारिता।
5. प्रमुख सचिव, श्रम को इस आशय से कि वे उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कृत कार्यवाही का विवरण तीन माह के अन्तर्गत महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय,

(भोलानाथ तिवारी)
मुख्य सचिव